

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में दिनांक 13 अगस्त, 2007 को संसद में प्रधानमंत्री जी का स्वतःवक्तव्य

13 अगस्त, 2007

मैं इस गरिमापूर्ण सदन में यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि भारत सरकार, अमेरिकी सरकार के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल हेतु सहयोग के द्विपक्षीय करार के पाठ पर सहमत हो गई है।

2. अमेरिका के साथ विभिन्न चरणों में हमारी जो बातचीत होती रही है उससे सरकार संसद को पूरी तरह अवगत कराती रही है। हमने इस महत्वपूर्ण मामले पर संसद में खुली बहस से बचने की कभी भी कोशिश नहीं की। इससे पहले भी कई मौकों पर मैंने स्वयं वक्तव्य दिए हैं--29 जुलाई, 2005 को वाशिंगटन से लौटने पर, 27 फरवरी, 2006 को जब पृथक्करण योजना पर अमेरिका के साथ चल रही हमारी बातचीत के दौरान हमने सदन को विश्वास में लिया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बुश के भारत दौरे के बाद 7 मार्च, 2006 को। मैंने 17 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में भी एक विस्तृत वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया था जिन पर मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। हमारी सरकार ने संसदीय परंपराओं और परिपाटियों का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। बल्कि इस मामले हम किसी भी पूर्ववर्ती सरकार से आगे ही रहे हैं।

3. करार हो जाने के बाद, हमने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली कई पार्टियों को इस करार के व्यौरे की जानकारी दी है।

4. यह करार नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के बारे में ही है। यह करार दो ऐसे राष्ट्रों के बीच है जिनके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियाँ हैं और दोनों को समान रूप से लाभ और सुविधाएं हासिल हैं। करार का महत्व इस तथ्य से उजागर होता है कि इसके अमल में आने से भारत और अमेरिका के बीच पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग का रास्ता खुल जाएगा। हमने इस करार के लिए बराबर के भागीदार की हैसियत से विचार-विमर्श किया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की वे उपलब्धियां रही हैं जिनके कारण हम विगत में अपने सामने आई कई कड़वियों को सफलता के साथ पार कर पाए हैं। यह करार परस्पर लाभ के सिद्धांत पर आधारित है।

5. इस करार के विभिन्न पहलुओं पर काफी आम बहस और चर्चा होती रही है। भारत से नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के लिए अमेरिका के साथ हम किस बात पर सहमत और किस बात पर असहमत हो सकते हैं, इस बारे में मैंने 17 अगस्त 2006 को संसद और देश के सम्मुख अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी थी। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि यह उन विशेष मानदण्डों के भीतर ही होगा जिनका मैंने संसद के समक्ष जिक्र किया था। बातचीत के जटिल दौर के बावजूद हमने इस संबंध में अभूतपूर्व पारदर्शिता दिखाई।

6. मैंने संसद को आश्वासन दिया था कि सरकार जुलाई, 2005 और मार्च, 2006 के संयुक्त वक्तव्यों में कही गई बातों को मूर्त रूप देने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं समझता हूँ कि हमने अपने वचन को निभाया है। हमने करार को अंतिम रूप देते समय यह सुनिश्चित किया है कि हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की स्वायत्तता पूरी तरह बरकरार रहे और डा0 होमी भाभा का दीर्घकालिक सपना हमारा मार्गदर्शन करता रहे।

7. मैं आपकी अनुमति से इस गरिमापूर्ण सदन का ध्यान करार की मुख्य बातों की ओर थोड़े विस्तार के साथ आकृष्ट करना चाहता हूँ। इससे यह पता चलेगा कि 17 अगस्त, 2006 को किए गए वादों सहित जो वादे मैंने संसद से किए थे, उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है।

(i) पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग

- इस करार में पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की धारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। करार में कहा गया है कि इस सहयोग में परमाणु रिएक्टर्स तथा संबद्ध न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के पहलू शामिल होंगे जिसमें औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक स्तर पर टेक्नालॉजी का हस्तांतरण भी सम्मिलित है। इसके अलावा, इसमें हमारे रिएक्टर्स के जीवनकाल में ईंधन की आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए परमाणु ईंधन का रणनीतिक भंडार बनाना भी शामिल होगा।
- इस करार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अमेरिका से मिले ईंधन को इस्तेमाल के बाद दोबारा प्रोसेसिंग का अधिकार होगा। इसे बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। हम रिप्रोसेस के अपने अधिकार को उस क्लोज्ड फ्यूल साइकिल के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखते हैं, जिससे हम अपने रिएक्टर्स में इस्तेमाल में लाए गए परमाणु ईंधन की ऊर्जा क्षमता को अपनी राष्ट्रीय सुविधाओं में पूरी तरह से इस्तेमाल में ला सकेंगे। रिप्रोसेस करने की भारत को मिली स्थाई अनुमति से इस मानदंड को पूरा किया गया है।
- भारत एक नई राष्ट्रीय रिप्रोसेसिंग सुविधा स्थापित करेगा जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के तहत विदेशी परमाणु सामग्री की रिप्रोसेसिंग करने के लिए समर्पित होगी। उन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भारत और अमेरिका की परस्पर सहमति होगी जिनके तहत नई सुविधा में यह रिप्रोसेसिंग की जाएगी। व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर चर्चा किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने के छः महीने के भीतर शुरू की जाएगी और एक वर्ष के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। जहां तक दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं का संबंध है, उनमें किसी तरह का कोई दुराव-छिपाव नहीं है।
- पृथक की जाने वाली किसी भी विशेष विखंडनीय सामग्री को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के तहत राष्ट्रीय सुविधाओं में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। इस तरह हमारे त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के हितों को सुरक्षित रखा गया है।
- अमेरिका की लम्बे समय से यह नीति रही है कि वह किसी भी देश को संवर्द्धन, रिप्रोसेसिंग और भारी जल उत्पादन सुविधाओं की सप्लाई नहीं करेगा। इस करार में एक संशोधन के जरिए ही भारत को इस प्रकार के हस्तांतरण की व्यवस्था है। संवर्द्धन, रिप्रोसेसिंग और भारी जल उत्पादन सुविधाओं के दोहरे इस्तेमाल के हस्तांतरण के लिए दूरदर्शी भाषा का प्रयोग किया गया है। हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे भविष्य में सहयोग बढ़ेगा और उसका विस्तार होगा, वैसे-वैसे हस्तांतरण संभव होता चला जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि करार में किसी भी ऐसे निषेध को शामिल नहीं किया गया है जो विशेषरूप से भारत के खिलाफ हो।

(ii) आदान-प्रदान का सिद्धांत:

- आदान-प्रदान के सिद्धांत को जो जुलाई, 2005 के वक्तव्य का अभिन्न हिस्सा रहा है, इस करार में पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है कि हम अपनी नागरिक परमाणु सुविधाओं पर केवल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी को ही स्वीकार करेंगे। यह भी चरणबद्ध तरीके से होगा और पृथक्करण योजना में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित किए गए अनुसार होगा, और तभी होगा जब भारत के साथ परमाणु व्यापार पर सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध उठा लिए जाएं। भारत इससे पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसे बदला न जा सके।

(iii) प्रमाणन:

- इस करार में दोनों देशों द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई है कि वे स्थायी रूप से, विश्वसनीयता के साथ और भावी जरूरतों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल में व्यापक रूप से सहयोग करेंगे। यह करार इस बात की भी पुष्टि करता है कि भारत के साथ अमेरिकी सहयोग स्थायी है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि भारत के साथ अमेरिकी सहयोग को वार्षिक प्रमाणन प्रक्रिया की शर्त से गुजरना होगा।
- माननीय सदस्यों को याद होगा कि 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया था कि भारत को उन्नत परमाणु टेक्नालॉजी से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में समझा जाए और उसे वे सभी सुविधाएं और लाभ मिलें जो अमेरिका जैसे अन्य उन्नत परमाणु टेक्नालॉजी से सम्पन्न राष्ट्रों को मिल रहे हैं। इस करार में भारत और अमेरिका का ऐसे दो राष्ट्रों के रूप में विशेष संदर्भ है जिनके पास उन्नत परमाणु टेक्नालाजी है, जिन्हें समान लाभ और सुविधाएं प्राप्त हैं और जो व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(iv) सुरक्षा निगरानी:

- मार्च की पृथक्करण योजना में बनी सहमति के आधार पर भारत ने केवल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी को ही स्वीकार किया है जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार में परिलक्षित होगी। हमने ऐसे किसी भी प्रावधान की अनुमति नहीं दी है जिसमें हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम अथवा हमारी सुरक्षा निगरानी इतर परमाणु सुविधाओं की जांच जरूरी हो। करार में ऐसे स्पष्ट प्रावधान हैं जिनसे यह साफ होता है कि इस करार से न तो हमारी सुरक्षा निगरानी इतर सुविधाओं पर कोई असर पड़ेगा और न ही सामग्री, उपकरण, सूचना अथवा अर्जित या स्वतंत्र रूप से विकसित टेक्नालॉजी के इस्तेमाल के हमारे अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा। भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि करार के अमल में आने से हमारी सैन्य परमाणु सुविधाओं सहित भारत की परमाणु गतिविधियां न तो बाधित होंगी न ही उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा। करार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे रणनीतिक कार्यक्रम, हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम अथवा उन्नत अनुसंधान और विकास करने की हमारी क्षमता पर असर पड़े।

(v) ईंधन की आपूर्ति का आश्वासन:

- मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार की व्यवस्था की गई है जिसमें ये आश्वासन दिए

गए हैं कि उन परमाणु रिएक्टर्स के लिए ईंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होगी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ ही, ईंधन की आपूर्ति बाधित होने पर सुधारात्मक उपाय करने का भारत को अधिकार होगा। एक महत्वपूर्ण आश्वासन यह भी दिया गया कि भारत के रिएक्टर्स की आजीवन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए परमाणु ईंधन के रणनीतिक भंडार बनाने के भारत के अधिकार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

- इस करार में पृथक्करण योजना के अनुरूप यह व्यवस्था की गई है कि भारत के रिएक्टर्स के जीवनकाल में ईंधन की आपूर्ति में उत्पन्न किसी बाधा से बचने के लिए अमेरिका, भारत के परमाणु ईंधन के रणनीतिक भंडार बनाने की कोशिशों में सहयोग करेगा। करार में पृथक्करण योजना के संगत हिस्सों को पूर्ण रूप से दोहराया गया है। इससे विदेशी ईंधन की आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में भारत के नागरिक परमाणु रिएक्टर्स का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा सुधारात्मक उपाय करने के अधिकार की पुष्टि की गई है।

माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि तारापुर के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव की पुनरावृत्ति न हो।

(vi) हमारे रणनीतिक कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता, निर्णय लेने की स्वायत्तता और भावी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास:

- मैंने 7 मार्च तथा 17 अगस्त, 2006 के अपने वक्तव्यों में संसद को यह आश्वासन दिया था कि पृथक्करण योजना से हमारे रणनीतिक कार्यक्रम, त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा और हमारे अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों की स्वायत्तता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।
- इस करार से भारत की वर्तमान तथा भावी रणनीतिक जरूरतों के लिए विखण्डन सामग्री उत्पादित करने और इसका इस्तेमाल करने की इसकी योग्यता पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। अपनी जरूरतों के लिए देश में ही स्वतंत्र रूप से विकसित परमाणु सुविधाओं के इस्तेमाल का हमारा अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है। इस करार में प्रावधान है कि स्वयं के प्रयोजनों के लिए उत्पादित, अर्जित अथवा स्वतंत्र रूप से विकसित परमाणु सामग्री, गैर-परमाणु सामग्री, उपकरण, कलपुर्जा, सूचना अथवा प्रौद्योगिकी और सैन्य परमाणु सुविधाओं के इस्तेमाल से जुड़ी हमारी गतिविधियों में न तो कोई बाधा आएगी और न ही उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप होगा।

(vii) सहयोग की समाप्ति:

- यदि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटती है जिसे किसी एक पक्ष द्वारा सहयोग को समाप्त करने अथवा करार को रद्द करने के कारण के रूप में उल्लेख किया जाता हो तो इसके लिए करार में एक व्यापक, बहुस्तरीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया की व्यवस्था है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे अपने विचार-विमर्श में कई कारकों को ध्यान में रखेंगे ताकि अविचारित अथवा एकपक्षीय कार्रवाई की गुंजाइश को कम किया जा सके। अमेरिका द्वारा सहयोग को समाप्त करने की मांग तभी की जा सकती है जब वह इस करार को निरस्त करने का कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो। करार के रद्द हो जाने के बाद भी भारत का “सुधारात्मक उपाय” करने का अधिकार बरकरार रहेगा।

- इस करार के रद्द होने तथा किसी पक्ष द्वारा सहयोग समाप्त करने की स्थिति में प्रत्येक को एक दूसरे को दी गई परमाणु सामग्री और उपकरण वापस लौटाने का अधिकार होगा। लेकिन, करार में इस बात की व्यवस्था है कि लौटाने के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व दोनों पक्षों को सलाह-मशविरा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा, चल रहे करारों और परियोजनाओं, बाजार दरों पर मुआवजा, वास्तविक सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों जैसे विशेष कारकों को ध्यान में रखना होगा। भारत और अमेरिका उन परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर राजी हुए हैं जिनसे करार रद्द हो सकता है। इन परिस्थितियों में सुरक्षा माहौल में बदलाव के बारे में किसी एक पक्ष की चिंताएं अथवा अन्य देशों द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, पर प्रतिक्रिया जताना शामिल है। इस करार में यह भी व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्ष यह मानते हैं कि लौटाने के अधिकार का प्रयोग करने पर दोनों पक्षों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और इसके दुष्परिणाम होंगे।
 - भारत के दृष्टिकोण से हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पृथक्करण योजना में दिए गए विस्तृत ईंधन आपूर्ति के आश्वासनों, जिनका उल्लेख अब समझौते में पूरी तरह से कर दिया गया है, के संदर्भ में हमारे परमाणु रिएक्टर्स बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें। इस करार में ईंधन आपूर्ति के आश्वासनों और "सुधारात्मक उपाय" करने के भारत के अधिकार के संबंध में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख है कि इस बारे में "सुधारात्मक उपाय" करने के अधिकार सहित भारत के अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। इससे भारत के रिएक्टर्स का अबाधित प्रचालन सुनिश्चित होगा। इसमें वे सब बातें आ गई हैं जो जुलाई के वक्तव्य और मार्च की पृथक्करण योजना में बनी सहमति के अनुरूप हैं।
8. इस समझौते की महत्वपूर्ण और नवीनतम विशेषताएं ये हैं कि इसमें, विदेशों से सप्लाई किए गए रिएक्टर्स के अबाधित रूप से प्रचालन करने और ईंधन आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में "सुधारात्मक उपाय" करने के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि हमने प्रावधानों को इस प्रकार से तैयार किया है कि इनसे करार में उल्लिखित अधिकार और प्रतिबद्धताएं स्पष्ट और परस्पर संबद्ध हैं।
9. यह करार किसी भी प्रकार से भविष्य में परमाणु परीक्षण करने के भारत के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, यदि ऐसा करना भारत के राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी हो। अतः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय हमारा सम्प्रभु निर्णय होगा और यह निर्णय पूरी तरह से सरकार के अधिकार में होगा। इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भविष्य में सरकार को कुछ करने से रोके या भारत की सुरक्षा और रक्षा जरूरतों का बचाव करने के इसके विकल्पों पर कानूनी बंधन लगाता हो।
10. संक्षेप में, यह करार किसी भी प्रकार से हमारी रणनीतिक स्वायत्तता अथवा क्षमताओं पर रोक नहीं लगाता अथवा उन्हें प्रतिबंधित अथवा कम नहीं करता। हमारे त्रिस्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम का हमारा अधिकार बरकरार है। सहयोग को रोक देने की किसी अप्रत्याशित स्थिति में सुधारात्मक उपायों के संबंध में हमारे अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हमारे रिप्रोसेसिंग अधिकार सबसे ऊपर हैं और स्थाई हैं। उन्नत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम और आईपीआर सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
11. जैसा कि मैंने कहा है, यह करार भारत और अमेरिका के बीच "परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण इस्तेमाल" के लिए किया गया करार है। इस करार के अस्तित्व के आने के पीछे भारत और अमेरिका के बीच परस्पर यह धारणा रही है कि दोनों ही देशों को अपनी ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हल ढूंढने की

जरूरत है। भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि यदि हमें गरीबी हटाने के अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें अपने सकल घरेलू उत्पाद की मौजूदा 8 से 10 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को बनाए रखना होगा। अगले दो दशकों में इस विकास दर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का व्यापक महत्व है। यदि हम अपने कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत के समस्त ज्ञात स्रोतों का दोहन कर भी लें तब भी हमारे सामने मांग और पूर्ति के बीच बड़ा भारी अंतर बना रहेगा।

12. भारत के त्रिस्तरीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम से भविष्य के लिए काफी उम्मीदें हैं। इस त्रिस्तरीय कार्यक्रम के क्रमानुसार क्रियान्वयन के उपरांत आगे चलकर थोरियम-आधारित हमारी अनोखी प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से एक व्यवहार्य विकल्प बनेगी। इस बीच, हमें ऊर्जा के हर संभावित स्रोत का पता लगाना होगा और उसका दोहन करना होगा। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए एक तर्कसंगत विकल्प है। यूरेनियम की स्वदेशी स्रोतों से होने वाली आपूर्ति बेहद कम है और इसीलिए हमें अन्यत्र से यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में प्रौद्योगिकी सदैव ही एक अमूल्य चीज होती है और इस बारे में हम अपनी नई दिशाएं तलाशना चाहते हैं। हम नागरिक परमाणु ऊर्जा में अन्य देशों, विशेषकर रूस और फ्रांस जैसे बड़े परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग आगे बढ़ाना चाहते हैं।

13. हमारे पास पहले से ही एक व्यापक परमाणु आधारभूत ढांचा मौजूद है। इस क्षेत्र में हमारे पास कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की एक विशाल फौज मौजूद है। इस बहुमूल्य परिसंपत्ति को सुदृढ़ बनाना हमारे लिए सर्वथा उचित है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट परमाणु विद्युत पैदा करना है। हालांकि यह काफी कम है, लेकिन यदि हमें एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल हो जाता है तो हम इस लक्ष्य को दुगुना करने की उम्मीद रख सकते हैं।

14. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय करार और अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार, जो कि जल्दी ही क्रिया जाने वाला है, के आधार पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा अपने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने की आशा है ताकि नागरिक परमाणु ऊर्जा और इससे जुड़ी सभी दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी में भारत के साथ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार किया जा सके। इससे भारत पर पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से लगे प्रौद्योगिकी प्रतिबंध समाप्त होने की दिशा में नई शुरुआत होगी।

15. जहां एक ओर इस करार का हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हमारे उद्योगों के विकास को भी काफी अधिक बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका और अन्य प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत देशों के साथ तेजी से उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार बढ़ेगा।

16. मैं इस पहल से भारत को प्राप्त होने वाले एक और महत्वपूर्ण लाभ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम अपने वैज्ञानिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक विचारों और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान में हिस्सा लेने और ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण बदलाव की विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसमें आई.टी.ई.आर. परियोजना या अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर शामिल है जिसमें तकनीकी रूप से उन्नत चंद्र इने-गिने देशों के साथ भारत पहले ही एक पूर्ण एवं बराबर के सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है।

17. इस विषय पर चर्चाओं में स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में सवाल खड़े किए गए हैं। मैंने मार्च और अगस्त, 2006 को संसद में दिए गए अपने वक्तव्यों में इस संबंध में सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया था। मैंने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया था कि एक ऐसी विदेश नीति, जो अपना

निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, को अपनाना हमारे राष्ट्र निर्माताओं की विरासत है और मेरी सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत जो इतना बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, उसकी विदेश नीति की स्वतंत्रता को कोई शक्तिशाली देश छीन नहीं सकता। आज भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक प्रभावशाली और सम्मानित सदस्य के रूप में विश्व मंच पर खड़ा है। हमें सोचने और काम करने की अपनी पूरी आजादी है।

18. मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तथा जापान जैसी सभी विश्व ताकतों के साथ आज हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ हैं। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, तथा मध्य एशिया के साथ हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसके परिणाम सामने दिखने लगे हैं। हम अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में हम एक ऐसा शान्तिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं जो विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के अनुकूल हो। जो लोग स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे भारत के प्रति उसी तरह का विश्वास जताएं जैसा कि दूसरे बाहर से जताते हैं।

19. इस प्रकार, यह सवाल ही नहीं उठता कि हम कभी भी अपनी अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के साथ कोई समझौता करेंगे। हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखेंगे। इसके साथ ही, हमें परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों की दौड़ सहित किसी भी तरह की हथियारों की दौड़ में भाग न लेने के महान आदर्शों के प्रति भारत की लम्बे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को भी नहीं भूलना चाहिए। परमाणु हथियारों को सार्वभौमिक रूप से और बिना किसी भेदभाव के तथा पूरी तरह से समाप्त किये जाने की हमारी वचनबद्धता आज भी कायम है। परमाणु हथियार रहित दुनिया की यही कल्पना श्री राजीव गांधी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखी थी और आज भी इसे सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त है।

20. हम परमाणु परीक्षण पर स्वेच्छा से और इकतरफा अस्थाई रोक के प्रति वचनबद्ध हैं। हम निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि या एफ.एम.सी.टी. पर वार्ता के लिए भी वचनबद्ध हैं। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में जब भी सहमति बनती है, भारत भेदभाव रहित, बहुपक्षीय वार्तायुक्त, और अन्तरराष्ट्रीय रूप से सत्यापनीय विखण्डनीय सामग्री कटौती संधि में शामिल होना चाहता है, बशर्ते कि यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुकूल हो।

21. चाहे सरकार बदली हो या राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव आया हो लेकिन हमने वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना के साथ और विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण सहित व्यापक एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध होकर हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है। इस सरकार का यह मानना है कि इन आदर्शों के प्रति हमारी वचनबद्धता और इन्हें हासिल करने के हमारे प्रयास और भी जोर-शोर से जारी रहने चाहिए क्योंकि अब हम एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बन चुके हैं। हमारे पास परमाणु हथियारों का होना हमारी जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ाता ही है उसे कम नहीं करता।

22. जहां तक विचाराधीन विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण का संबंध है, भारत ने परमाणु अप्रसार का त्रुटिहीन रिकार्ड बनाए रखा है। एक जिम्मेदार परमाणु ताकत के रूप में भारत संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार का स्रोत नहीं बनेगा। हम विश्व अप्रसार उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के पक्षधर हैं क्योंकि इस व्यवस्था में कमियों के कारण हमारे सुरक्षा हितों पर असर पड़ा है। हम अप्रसार के अपने साझे उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे।

23. इससे पहले कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा में एक पूर्ण और बराबर के भागीदार के रूप में शामिल हो, हमें अभी दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पार करने हैं। हमें अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा निगरानी करार को अंतिम रूप देना है। उसके बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा सर्वसम्मति से भारत के साथ परमाणु व्यापार को सुकर बनाने के लिए अपने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने और हमारे देश पर दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकियों और मर्दों के अंतरण पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने पर राजी होना होगा, जिसकी हमें बिना शर्त उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन अमरीकी कांग्रेस से अपेक्षित अनुमोदन हासिल करेगा। इन कदमों के साथ ही यह पहल व्यावहारिक तौर पर मूर्त रूप ले पाएगी।

24. हमारे वार्ताकारों को इस उपलब्धि का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को एक ऐसा करार हासिल करने में सहायता की है जो हमारे देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसा करार है जिससे हम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण को बचाए रखने की अपनी दोहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे, और जिससे भारत के खिलाफ दशकों से लगे वे प्रौद्योगिकी प्रतिबंध हट सकेंगे जो हमारे विकास की राह में एक बड़ी बाधा रहे हैं। इसके साथ ही, इससे भारत को उसका हकशुदा सम्मान मिलेगा। इसके लिए हमारे परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्य उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के वैज्ञानिक अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए साधुवाद के पात्र हैं।

25. इस ऐतिहासिक पहल को राष्ट्रपति बुश और उनके प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों का सतत् सहयोग मिला है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और उन्हें आगे बढ़ाना एक उद्देश्य है, जिसके लिए उन्होंने बिना शर्त व्यक्तिगत सहयोग दिया है और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने उद्देश्य में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, यह करार उसका शानदार उदाहरण है।

26. महोदय, आखिर में, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा करार किया है जो न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है। मैंने न तो बढ़ा-चढ़ाकर बातें कहीं हैं और न ही मेरी कभी स्वयं ही बधाई लेने की मंशा रही है। मैं समझता हूँ कि इतिहास और हमारी भावी पीढ़ी इसका फैसला करेगी कि हमने इस करार के जरिए जो कुछ किया है उसका कितना महत्व है। आने वाले दिनों में यह दिखेगा कि न केवल अमेरिका बल्कि विश्व के तमाम देश भारत के साथ अपने संबंधों में एक नए संतुलन पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिका के साथ इस करार से विश्व भर की राजधानियों में नए द्वार खुलेंगे। विश्व परिषदों में भारत का उचित स्थान फिर से हासिल करने की हमारी यात्रा में यह एक और कदम है। जब भावी पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तो वे इस ऐतिहासिक करार के महत्व को स्वीकार करेंगी।

धन्यवाद, महोदय।
